बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग
।। अधिसूचना ।।

अधि0सं0–सं0का0–1 / वि0मं0–(महानुभाव)–08–04 / 2025–..... / पटना, दिनांक–.....2026

विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित) के नियम–3 के आलोक में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल, बिहार विधान सभा को संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना–925, दिनांक–23.12.2025 द्वारा दिनांक–03.12.2025 के प्रभाव से मंत्री के दर्जा के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदत्त हैं। फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 2(ट) तथा नियम 3(ङ) से इन्हें उक्त दर्जा के अनुरूप निजी स्टाफ की सुविधा प्राप्त है।

2. बिहार (मंत्रियों के वेतन और भते) अधिनियम, 2006 के धारा 2(ख), बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम 18 से निर्धारित अनुसूची–1 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0–288, दिनांक–23.06.2014 द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री को सरकारी एवं बाह्य सेवा के निजी कर्मचारी की सुविधा अलग–अलग प्रावधानित की गयी है।

3. उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में श्री प्रीतम कुमार, बि0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–419 / 26, गृह जिला–मुंगेर) (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में) की सेवा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव (राजपत्रित) के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–19084, दिनांक–15.10.2026 द्वारा प्राप्त हुई है।

4. माननीय नेता, विरोधी दल, बिहार विधान सभा के ज्ञापांक–189, दिनांक–30.08.2026 के द्वारा स्वघोषणा की गयी है कि श्री प्रीतम कुमार उनके सगे–सम्बन्धी नहीं है।

5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–19094, दिनांक–15.10.2026 द्वारा श्री प्रीतम कुमार का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया गया है। तद्नुसार इनकी सेवा महानुभाव के आप्त सचिव (सरकारी) के रूप में कार्य करने के लिये आदेश निर्गत की जाती है। श्री प्रीतम कुमार को संसदीय कार्य विभाग में योगदान की तिथि–16.10.2026 से उक्त महानुभाव के कार्यकाल तक महानुभाव के आप्त सचिव (सरकारी) के रूप में बनी रहेगी। परन्तु महानुभाव के द्वारा उसके पहले भी किसी भी तिथि से इनकी सेवा समाप्त कर लौटायी जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद वे अपने पैतृक विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

6. श्री प्रीतम कुमार, बि0प्र0से0, आप्त सचिव के वेतनादि का भुगतान बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रति सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1/वि0मं0–(महानुभाव)–08–04/2025–...../पटना, दिनांक–.....2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वैयक्तिक दावा कोषांग, (वित्त विभाग) पटना/प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवनब, पटना/लेखा–शाखा, बिहार विधान सभा, पटना/श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल, बिहार विधान सभा/श्री प्रीतम कुमार, बि0प्र0से0, आप्त सचिव (राजपत्रित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1/वि0मं0–(महानुभाव)–08–04/2025–...../पटना, दिनांक–.....2026

प्रतिलिपि–श्री राजीव रंजन दास, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–19094, दिनांक–15.10.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1/वि0मं0–(महानुभाव)–08–04/2025–1207/पटना, दिनांक–22.10.2026

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/2026

सरकार के अपर सचिव।